कार्यालय—नगर परिषद,भभुआ

(आम बन्दोवस्ती सूचना)

वितीय वर्ष **2020-2021** के लिये नगर परिषद् भभुआ के नीचे लिखे सैरातों की खुले डाक द्वारा बन्दोवस्ती समूह 'क' के लिये '03 माह' शेष अवधि (माह—जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक) एवं 'ख' के लिये शेष अवधि (माह—जनवरी 2021 से 31 मार्च 2023 तक) नगर परिषद कार्यालय में के लिए अंकित तिथि को **3.00** बजे अपराहन् से की जाएगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि एवं समय को उक्त स्थान पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते हैं।

समूह	सैरातों का नाम	न्युनतम डाक की राशि	जमानत स्वरूप अग्रधन की राशि (10% प्रतिशत)	डाक की तिथि	डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि	डाक नहीं होने की स्थिति में अगली तिथि	बन्दोबस्ती की अवधि	समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क)	टू—व्हीलर एवं थ्री व्हीलर/ई—रिक्सा स्टैण्ड एवं नगर परिषद क्षेत्र अर्न्तगत मालवाहक वाहनों पर लदकर बाजार में बिक्री हेतु आई वस्तुओं यथा ईंट,गिट्टी एवं बालू पर फेरी व्यवसायिक शुल्क, चार पहिया स्टैंण्ड एवं नगर परिषद् व्यायी बाजार, भेन्डर जोन, बेलाव बस स्टैण्ड जिला—कैमूर (भभुआ)	**12,02,874 .00**	**1,20,287.00**	**22.12.2020**	**24.12.2020**	**28.12.2020**	**3 Months**	**3.00 PM**
(ख)	चमन लाल तालाब (केवल मछली पालन हेतु)	**2,16,400.00**	(20% प्रतिशत) **43,280.00**	**22.12.2020**	**24.12.2020**	**28.12.2020**	**2 Years 3 Months**	**3.00 PM**

डाक की शर्ते निम्नवत है:—

1. डाक में वही व्यक्ति भाग लेंगे जिनके पास नगर परिषद् भभुआ का किसी प्रकार का बकाया नहीं होगा। इस आशय का कार्यालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. डाक वक्ता को स्थाई निवास प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साईज का फोटो जमा करना होगा।
3. डाक बोलने से पूर्व 10% (दस) प्रतिशत की राशि (कॉलम सं०—04 पर अंकित राशि) को जमा करने के पश्चात् ही डाक बोली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यह ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से कार्यालय में भुगतेय हो होगा। उच्चतम डाक में सफल डाकवक्ता एवं द्वितीय डाकवक्ता की सुरक्षित जमा धन राशि का समायोजन/वापसी एकरारनामा के पश्चात की जायेगी।
4. डाक बन्दोवस्ती अंतिम चक्र समाप्त होने के पश्चात उच्चतम डाकधारी के साथ की जायेगी, तथा डाक समाप्त होने पर सफल डाकवक्ता के पूरी राशि 24 घंटे के अन्दर एक मुश्त जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर डाक को रद्द कर दिया जाएगा और जमानत की पूरी राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. बन्दोबस्ती राशि का 03 (तीन) प्रतिशत राशि स्टाम्प शुल्क के रूप में डाकधारी द्वारा अलग से देय होगा।
6. डाक की शर्तों में किसी प्रकार का परिर्वतन अथवा बन्दोवस्ती रद्ध करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
7. बन्दोबस्त किये जाने वाले सैरातो की सभी सामग्री के वसूल किये जाने वाले निर्धारित शुल्क आवश्यकतानुसार अद्योहस्ताक्षरी नगर परिषद,भभुआ के द्वारा घटायी व बढ़ायी जा सकती है।
8. नगर परिषद द्वारा निर्धारित स्थलों एवं निर्धारित शुल्क से भिन्न वसूली नही की जायेगी अन्यथा डाक को रदद् करते हुए सफल डाकवक्ता की राशि जब्त कर ली जायेगी। स्थल तथा वसूलनीय दरों की जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
9. डाक में भाग लेने वाले संवेदक को 03 (तीन) साल का **Income Tax Return** का साक्ष्य देना अनिवार्य होगा।

Tender Sairat 2020-2021

उर्मिला देवी

10. डाक में भाग लेने वाले संवेदको को सैरात बन्दोबस्ती के वसूली किये जाने का 03 (तीन) साल का अनुभव प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
11. वसूली के सबुत में छपी हुयी रसीद फुटपाथ विक्रेताओं,ईट,गिट्टी,बालु एवं लदे व्यवसायक वाहनों साथ फोर व्हीलर,थ्री व्हीलर,टु व्हीलर वाहनो को देना होगा। जो बन्दोबस्तधारी को स्वय को खर्च से मुद्रित करना होगा।
12. संवेदक के द्वारा सैरात का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर बन्दोबस्ती की अवधि बढ़ायी या घटायी जा सकती है,जो अधिकतम दो वित्तीय वर्षो के लिये **10%** प्रतिशत प्रति वित्तीय वर्ष वृद्धि के साथ किया जा सकता है।
13. सैरातों के डाक की बोली में भाग लेने हेतु स्वयं संवदेक को उपस्थित रहना होगा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि स्वीकार्य नही होगें।
14. समूह 'ख' के लिये तालाब के स्वरूप का परिर्वतन किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगा।
15. समूह 'ख' के लिये तालाब में पूर्व की भांति धार्मिक अनुष्ठान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा।
16. शेष सभी शर्त समान रूप से समुह 'क' एवं 'ख' पर लागु रहेगा।
17. वित्तीय वर्ष–2020–2021 के विभिन्न सैरातों के विस्तृत जानकारी हेतु नगर परिषद,भभुआ के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

उर्मिला देवी

नगर सभापति
नगर परिषद,भभुआ

23/11/2020

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ

ज्ञापांक– 947 / दिनांक– 23/11/2020

प्रतिलिपि :–

1. नाजीर नगर परिषद् भभुआ को आदेश दिया जाता है कि इस आम सूचना को पूरे नगर क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार–प्रसार करावें, एवं सूचना पटट् पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करें।
2. थाना प्रभारी,भभुआ को सादर सूचनार्थ एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु समर्पित। अनुरोध है बन्दोबस्ती की तिथियों पर आरक्षी बल उपलब्ध कराने की कृपा करें।
3. जिला सूचना विज्ञापन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि इसे **kaimur.nic.in** के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।
4. प्रखंड विकास पदाधिकारी, भभुआ एवं अचंलाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि अपने–अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को सादर सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि अपने कार्यालय के सूचना पटट् पर प्रकाशित करने की कृपा की जाय।
6. उप विकास आयुक्त, कैमूर (भभुआ) एवं माननीय अध्यक्ष जिला परिषद कैमूर भभुआ को सादर सूचनार्थ समर्पित।
7. जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उर्मिला देवी

नगर सभापति
नगर परिषद,भभुआ

23/11/2020

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद,भभुआ